

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2026—फाल्गुन 22, शक 1947

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जनवरी 2026

क्रमांक ESTB/102(1)/58/2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. (2009), सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, समग्र शिक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्रीमती किरण कौशल, भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त, समग्र शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत आयुक्त, समग्र शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2. श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, गृह निर्माण मंडल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

3. श्री आकाश छिकारा, भा.प्र.से. (2017), संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा अति. प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर जिला-बस्तर के पद पर पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजत कुमार, सचिव.

| राजस्व विभाग                                                  | (1)            | (2)                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं                  |                |                                                                                                           |
| पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं                      | 6              | 0.611                                                                                                     |
| आपदा प्रबंधन विभाग                                            | 14             | 0.097                                                                                                     |
|                                                               | 15             | 0.162                                                                                                     |
| कोरबा, दिनांक 28 जनवरी 2026                                   | 17/1           | 0.024                                                                                                     |
|                                                               | 12/2           | 0.016                                                                                                     |
| भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/1526/202103050500001/अ-82/            | 16             | 0.012                                                                                                     |
| 2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि      | 24/4           | 0.045                                                                                                     |
| नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद | 26/1/ख         | 0.134                                                                                                     |
| (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः    | 21             | 0.040                                                                                                     |
| भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और | 17/3           | 0.028                                                                                                     |
| पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात्         | 24/1           | 0.016                                                                                                     |
| अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा  | 44/1           | 0.089                                                                                                     |
| यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए     | 89/1           | 0.040                                                                                                     |
| आवश्यकता है :—                                                | 89/2           | 0.020                                                                                                     |
| अनुसूची                                                       | 26/2           | 0.048                                                                                                     |
| (1) भूमि का वर्णन—                                            | 88/1           | 0.028                                                                                                     |
| (क) जिला-कोरबा                                                | 24/3, 26/1ख    | 0.044                                                                                                     |
| (ख) तहसील-करतला                                               | 92/1           | 0.040                                                                                                     |
| (ग) नगर/ग्राम-घिनारा                                          |                |                                                                                                           |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.089 हेक्टेयर                             | योग            | 2.089                                                                                                     |
| खसरा नम्बर                                                    |                |                                                                                                           |
| (1)                                                           | रकबा           |                                                                                                           |
|                                                               | (हेक्टेयर में) |                                                                                                           |
| 1/3                                                           | 0.016          |                                                                                                           |
| 2                                                             | 0.462          |                                                                                                           |
| 3                                                             | 0.008          |                                                                                                           |
| 4                                                             | 0.012          |                                                                                                           |
| 5                                                             | 0.097          |                                                                                                           |
|                                                               |                | (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घिनारा व्यपवर्तन योजना का शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.   |
|                                                               |                | (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है. |
|                                                               |                | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.                |

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 151/202507042100034/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-रायगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-बालमगोडा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 192/3      | 0.032                  |
| 519/3      | 0.032                  |
| 536/3      | 0.081                  |
| योग        | 03                     |
|            | 0.145                  |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत कुसमूरा माईनर व औराभांठा माईनर नहर निर्माण हेतु
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 155/202507042100006/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-रायगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-कूसमूरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 297/2      | 0.041                  |
| योग        | 1                      |
|            | 0.041                  |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत जामपाली के कुसमूरा नहर निर्माण हेतु
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 166/202508042100004/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-रायगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-धनांगर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.430 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 154/7क     | 0.025                  |
| 233/18     | 0.405                  |
| योग        | 02                     |
|            | 0.430                  |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 जनवरी 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 167/202507042100004/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़  
(ख) तहसील-रायगढ़  
(ग) नगर/ग्राम-जामपाली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.148 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा<br>(हेक्टेयर में) |
|------------|------------------------|
| (1)        | (2)                    |
| 661/2      | 0.020                  |
| 661/3      | 0.128                  |
| योग        | 02                     |
|            | 0.148                  |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के अंतर्गत जामपाली माईनर नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 11 फरवरी 2026

क्रमांक 01.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित

भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूर्ण होने पर भू-सर्वेक्षण का कार्य समाप्त करने की घोषणा करता हूँ.

| जिले का नाम                       | तहसील       | राजस्व निरीक्षक मण्डल | पटवारी हल्का नंबर | ग्राम का नाम (जिस ग्राम में असर्वेक्षित भूमि को सम्मिलित किया जाना है) | असर्वेक्षित भूमि की चतुर्सीमा                                                                                       | असर्वेक्षित भूमि का रकबा (हे.) में | अन्य विवरण |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| (1)                               | (2)         | (3)                   | (4)               | (5)                                                                    | (6)                                                                                                                 | (7)                                | (8)        |
| मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) | मनेन्द्रगढ़ | मनेन्द्रगढ़ (शहरी)    | 15                | तेन्दुडांड                                                             | पूर्व—हसदेव नदी<br>पश्चिम—मगरदहा नाला<br>उत्तर—ग्राम तेन्दुडांड की सरहद<br>दक्षिण—मगरदहा नाला एवं हसदेव नदी का संगम | 64.390 हे.                         |            |

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 11 फरवरी 2026

क्रमांक 02.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूर्ण होने पर भू-सर्वेक्षण का कार्य समाप्त करने की घोषणा करता हूँ.

| जिले का नाम                       | तहसील    | राजस्व निरीक्षक मण्डल | पटवारी हल्का नंबर | ग्राम का नाम (जिस ग्राम में असर्वेक्षित भूमि को सम्मिलित किया जाना है) | असर्वेक्षित भूमि की चतुर्सीमा                                                                                   | असर्वेक्षित भूमि का रकबा (हे.) में | अन्य विवरण |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| (1)                               | (2)      | (3)                   | (4)               | (5)                                                                    | (6)                                                                                                             | (7)                                | (8)        |
| मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) | खड़गावां | देवाडांड              | 4                 | बहेराबांध                                                              | पूर्व—ग्राम लालपुर<br>पश्चिम—वन भूमि (जिला गौरेला पेन्ड्रा मरवाही)<br>उत्तर—ग्राम बेलबहरा<br>दक्षिण—ग्राम सकड़ा | 216.62 हे.                         |            |

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 11 फरवरी 2026

क्रमांक 03.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित

भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूर्ण होने पर भू-सर्वेक्षण का कार्य समाप्त करने की घोषणा करता हूँ.

| जिले का नाम                       | तहसील   | राजस्व निरीक्षक मण्डल | पटवारी हल्का नंबर | ग्राम का नाम (जिस ग्राम में असर्वेक्षित भूमि को सम्मिलित किया जाना है) | असर्वेक्षित भूमि की चतुर्सीमा                                                                             | असर्वेक्षित भूमि का रकबा (हे.) में | अन्य विवरण |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| (1)                               | (2)     | (3)                   | (4)               | (5)                                                                    | (6)                                                                                                       | (7)                                | (8)        |
| मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) | खड़गवां | खड़गवां               | 11                | बहालपुर                                                                | पूर्व—वन भूमि<br>पश्चिम—वन भूमि<br>उत्तर—ग्राम बंजारीडांड जिला कोरिया व वन भूमि<br>दक्षिण—ठगगांव व वनभूमि | 166.86 हे.                         |            |

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 11 फरवरी 2026

क्रमांक 04.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूर्ण होने पर भू-सर्वेक्षण का कार्य समाप्त करने की घोषणा करता हूँ.

| जिले का नाम                       | तहसील   | राजस्व निरीक्षक मण्डल | पटवारी हल्का नंबर | ग्राम का नाम (जिस ग्राम में असर्वेक्षित भूमि को सम्मिलित किया जाना है) | असर्वेक्षित भूमि की चतुर्सीमा                                                                                              | असर्वेक्षित भूमि का रकबा (हे.) में | अन्य विवरण |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| (1)                               | (2)     | (3)                   | (4)               | (5)                                                                    | (6)                                                                                                                        | (7)                                | (8)        |
| मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) | चिरमिरी | चिरमिरी               | 2                 | मुकुन्दपुर                                                             | पूर्व—ग्राम कदरेंवा व वन भूमि<br>पश्चिम—ग्राम मेरो व वन भूमि<br>उत्तर—वन भूमि (Forest Land)<br>दक्षिण—ग्राम मेरो व कदरेंवा | 263.40 हे.                         |            |

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, दिनांक 11 फरवरी 2026

क्रमांक 05.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) एतद्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (असर्वेक्षित

भूमि) में भू-सर्वेक्षण संबंधी कार्य पूर्ण होने पर भू-सर्वेक्षण का कार्य समाप्त करने की घोषणा करता हूँ.

| जिले का नाम                               | तहसील    | राजस्व<br>निरीक्षक<br>मण्डल | पटवारी<br>हल्का<br>नंबर | ग्राम का नाम<br>(जिस ग्राम में<br>असर्वेक्षित भूमि<br>को सम्मिलित<br>किया जाना है) | असर्वेक्षित भूमि की चतुर्सीमा                                  | असर्वेक्षित<br>भूमि का<br>रकबा<br>(हे.) में | अन्य<br>विवरण |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| (1)                                       | (2)      | (3)                         | (4)                     | (5)                                                                                | (6)                                                            | (7)                                         | (8)           |
| मनेन्द्रगढ़-<br>चिरमिरी-<br>भरतपुर (छ.ग.) | केल्हारी | केल्हारी                    | 11                      | महादेवपुर                                                                          | पूर्व—वनभूमि<br>पश्चिम—वनभूमि<br>उत्तर—वनभूमि<br>दक्षिण—वनभूमि | 16.90 हे.                                   |               |

डी. राहुल वेंकट  
कलेक्टर एवं जिला सर्वेक्षण  
अधिकारी

### उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 25th September 2025

No. 19208/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 read with Section 26 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

| Sl. No. | Name of the Judicial Magistrate<br>Second Class | Present place<br>of posting | Present Civil<br>District |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)     | (2)                                             | (3)                         | (4)                       |
| 1.      | Shri Devashish Tigga, J.M.S.C., Baikunthpur     | Baikunthpur                 | Baikunthpur<br>(Koria)    |
| 2.      | Ku. Narayani Kachhap, J.M.S.C., Mungeli         | Mungeli                     | Mungeli                   |
| 3.      | Ku. Pooja Chandra, J.M.S.C., Balodabazar        | Balodabazar                 | Balodabazar               |
| 4.      | Ku. Mala Yadav, J.M.S.C., Balodabazar           |                             |                           |
| 5.      | Smt. Heera Sinha, J.M.S.C., Balod               | Balod                       | Balod                     |
| 6.      | Shri Sagar Chandrakar, J.M.S.C., Balod          |                             |                           |
| 7.      | Shri Pranav Vaidya, J.M.S.C., Dhamtari          | Dhamtari                    | Dhamtari                  |

By Order of the High Court,  
MANSOOR AHMED, I/c Registrar General.

Bilaspur, the 8th October 2025

No. 1136/Confdl./2025/II-2-90/2001 (Part-V).—A) Shri Rajnish Shrivastava, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Raipur is transferred and appointed as Registrar General in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

B) Shri Maneesh Kumar Thakur, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar General in the Establishment of the High Court is now appointed as Registrar (Vigilance) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

C) Shri Mansoor Ahmed, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Registrar (Vigilance and I. & E.) in the Establishment of the High Court is now appointed as Registrar (I. & E.) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,  
MANEESH KUMAR THAKUR, Registrar General.

---